

**समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)**

-: आदेश :-

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-144 (आवंटन)/कृ०, दिनांक-01.12.2015 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्य शीर्ष -2401- फसल कृषि कर्म -उपमुख्य शीर्ष -00- लघुशीर्ष -109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण - मांग संख्या -01- उपशीर्ष -0103 बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना विपत्र कोड- P2401001090103 राज्य योजना स्कीम कोड AGR- 56 83, विषय शीर्ष -33 01- सब्सिडी मद में मधेपुरा जिला को डीजल अनुदान हेतु सामान्य जाति के लाभुकों के लिए मो० 2,70,62,000/- (दो करोड़ सत्तर लाख बासठ हजार) रू० मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे निम्नांकित शर्तों के अन्तर्गत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को निम्न विवरणी के अनुरूप उपावंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का पदनाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्तमान उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि
1	प्र० वि० पदाधिकारी, मधेपुरा	-	2706200	2706200
2	प्र० वि० पदाधिकारी, घैलाढ़	-	1432695	1432695
3	प्र० वि० पदाधिकारी, सिंहेश्वर	-	2069450	2069450
4	प्र० वि० पदाधिकारी, गम्हरिया	-	1273500	1273500
5	प्र० वि० पदाधिकारी, शंकरपुर	-	1432695	1432695
6	प्र० वि० पदाधिकारी, मुरलीगंज	-	2706200	2706200
7	प्र० वि० पदाधिकारी, कुमारखंड	-	3342950	3342950
8	प्र० वि० पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	-	2547000	2547000
9	प्र० वि० पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	-	1910260	1910260
10	प्र० वि० पदाधिकारी, बिहारीगंज	-	1910260	1910260
11	प्र० वि० पदाधिकारी, चौसा	-	2069450	2069450
12	प्र० वि० पदाधिकारी, पुरैनी	-	1432695	1432695
13	प्र० वि० पदाधिकारी, आलमनगर	-	2228645	2228645
कुल योग :-		-	27062000	27062000

कुल-(दो करोड़ सत्तर लाख बासठ हजार) रू०

उपावंटन की शर्त :-

- उपरोक्त उपावंटन वित्त विभागीय पत्रांक-2561 वि०(2), दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-5294 दिनांक-17.06.2015 में निहित निदेश के आलोक में दी जा रही है।
- यह राशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्य शीर्ष 2401- फसल कृषि कर्म -उपमुख्य शीर्ष -00- लघुशीर्ष -109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण -मांग संख्या-01- उपशीर्ष -0103 बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना -विपत्र कोड- P2401001090103, राज्य योजना स्कीम कोड AGR- 56 83, विषय शीर्ष - 33 01 - सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- उक्त आवंटन की स्वीकृत्यादेश संख्या-5602, दिनांक-28.11.2015 में निहित शर्तों/ निदेशों के आलोक में ही, निकासी एवं व्यय किया जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- यह राशि सिर्फ रबी फसलों की सिंचाई हेतु आवंटित है। इस आवंटित राशि से खरीफ फसलों की सिंचाई में व्यय नहीं किया जाय। खरीफ फसलों की सिंचाई हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो अलग से मांग पत्र भेजे।
- व्यय के तुरंत बाद टी०भी० न० के साथ व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. उपावटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/लघु शीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाए। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाए अन्यथा ऑकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेदारी आवंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
7. उपावटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय, जिस मद के लिए राशि का उपावटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
8. उपावटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully vouched bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. उपावटित राशि का निकासी इस कार्यालय के पत्रांक-599 दिनांक-08.09.2015 द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में विपत्र के साथ किसानों की सूची देय राशि, खाता संख्या, आई0एफ0एस0 कोड के साथ एडभाईस संलग्न कर कोषागार में प्रस्तुत करेंगे, ताकि सूचीबद्ध किसानों को अंकित राशि उनके खाते में सीधे हस्तान्तरित हो सके।
10. यदि उपरोक्त उपावटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक-15.03.2016 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।
इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

अनुलग्नक-1. कृषि विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृतादेश संख्या-5602, दिनांक-28.11.2015

हो।
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

- ज्ञापांक : 02 आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक : 05.01/16
- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।